1

निगरानी / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3037

154 न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, सर्किट कोट रीवा (म0प्र0)

हरी सिंह तनय स्व0 श्री लाल सी.बी. सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी शंकर सदन, गुढ़ रोड रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

आवेदक श्री हरी सिंह द्वारा स्वतः पेश / 31-8-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

..........................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. श्रीमती उर्वशी गुप्ता पत्नी श्री सुमित कुमार गुप्ता उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी विवेकानन्द मार्ग, घोघर रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन ....प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा (गिर्द) द्वारा राजस्व प्र.क्र. 168 / अ–12 / 2015–16, में पारित आदेश दिनांक 25.07. 2016 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

महोदय,

पुरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :–

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 222, स्थित ग्राम पड़रा रीवा पटवारी हल्का ढेकहा, तहसील हुजूर जिला रीवा के अंश भाग को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2000 को क्रय किया था, क्रय किये गये अंश का बाद में खसरा क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 **R.**3037–दो/17 जिला–रीवा

हरी सिंह/ उर्वशी गुप्ता

(1)	(2)	(3)
24.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	